

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तों पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2014/1192

दिनांक: ०५/०९/२०१४

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **AKADAMI NURSING COLLEGE GWALIOR** को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित, M.Sc. NUR B.Sc. NUR., P.B. B.Sc. (Nursing) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) डॉ. रेखा भद्रौरिया, आचार्या, वनस्पतिकी अ.शा., जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (2) डॉ. मंजू दुबे, आचार्या, शा. के.आ.र.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
- (3) प्रो. ए.के. हल्वे, आचार्या, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (4) प्रो. नलिनी श्रीवारतव, आचार्या, बायोकैमिस्ट्री अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकूल संस्था एवं प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावें। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेदश देना अवैधानिक है। निरीक्षण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रति :-

समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)